



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272995
CG-DL-E-30052026-272995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2618]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2618]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2711(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग क्र.848 (नाशिक से पेठ सेक्शन) कि.मी. 11.600 से कि.मी.53.600 (नया प्रशासनिक भवन, जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर, सीबीएस के पास, मुंबई आगरा रोड, नासिक-2) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) क्र.2, नाशिक को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत

रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग क्र.848 (नाशिक से पेठ सेक्शन) कि.मी. 11.600 से कि.मी.53.600 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दिंडोरी					
गांव का नाम: गोळशी					
1	138	निजी	कृषिक (निजी)	0.1668 (हेक्टेयर)	0.1668
2	139	निजी	कृषिक (निजी)	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
3	140	निजी	कृषिक (निजी)	0.0198 (हेक्टेयर)	0.0198
4	142/A	निजी	कृषिक (निजी)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
5	142/B	निजी	गैरकृषिक (निजी,)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
6	152	निजी	कृषिक (निजी)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
7	153	निजी	कृषिक (निजी)	0.1915 (हेक्टेयर)	0.1915
8	156	निजी	कृषिक (निजी)	0.0603 (हेक्टेयर)	0.0603
9	157	निजी	कृषिक (निजी)	0.0172 (हेक्टेयर)	0.0172
गांव का नाम: आंबेगण					
10	32	निजी	कृषिक (निजी,)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
11	33	निजी	कृषिक (निजी)	0.0372 (हेक्टेयर)	0.0372

12	43	निजी	कृषिक (निजी,)	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
13	57	सामान्य	कृषिक (सामान्य,)	0.1175 (हेक्टेयर)	0.1175
14	58	निजी	कृषिक (निजी)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
15	68	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
16	81	निजी	कृषिक (निजी)	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: झारलीपाडा					
17	33	निजी	कृषिक (निजी)	0.0138 (हेक्टेयर)	0.0138
18	34	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
गांव का नाम: नालेगांव					
19	101	निजी	कृषिक (निजी)	0.1793 (हेक्टेयर)	0.1793
20	102	निजी	कृषिक (निजी)	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
तालुक का नाम: पेठ					
गांव का नाम: बोरवट					
21	121	निजी	कृषिक (निजी)	0.0442 (हेक्टेयर)	0.0442
22	122	निजी	कृषिक (निजी)	0.0425 (हेक्टेयर)	0.0425
23	125	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
24	126	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
25	197	निजी	कृषिक (निजी)	0.0119 (हेक्टेयर)	0.0119
गांव का नाम: कोटंबी					
26	172	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
27	197	निजी	कृषिक (निजी)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
28	198	निजी	कृषिक (निजी)	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
29	201	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0355 (हेक्टेयर)	0.0355
30	207	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0203 (हेक्टेयर)	0.0203
31	27	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0588 (हेक्टेयर)	0.0588

गांव का नाम: इनामबारी					
32	59	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
गांव का नाम: सांवलघाट					
33	102	सामान्य	कृषिक / अकृषिक (सामान्य)	0.1322 (हेक्टेयर)	0.1322
34	99	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
गांव का नाम: करंजाळी					
35	164	सामान्य	कृषिक (सामान्य)	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
36	200	निजी	कृषिक (निजी)	0.1246 (हेक्टेयर)	0.1246
गांव का नाम: पेठ					
37	91	निजी	कृषिक (निजी)	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
Total					2.1352

[फा. सं. RO/MUM/Nashik-Kumbh-2027/2025-26/241/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2711(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 848 (Nashik to Peth Section) in the stretch of land from Km. 11.600 to Km. 53.600 (New Administrative Building, District Collectors Office Premises, Near CBS, Mumbai Agra Road, Nashik-2) in the district of Nashik in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Dy. Collector (LA)No-2, Nashik in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on National Highway No. 848 (Nashik to Peth Section) in the stretch of land from Km. 11.600 to Km. 53.600 in the district of Nashik in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Nashik		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dindori					
Village: Golshi					
1	138	Private	Agriculture	0.1668 (Hectare)	0.1668
2	139	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
3	140	Private	Agriculture	0.0198 (Hectare)	0.0198
4	142/A	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
5	142/B	Private	Non Agriculture (Private,)	0.02 (Hectare)	0.02
6	152	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
7	153	Private	Agriculture	0.1915 (Hectare)	0.1915
8	156	Private	Agriculture	0.0603 (Hectare)	0.0603
9	157	Private	Agriculture	0.0172 (Hectare)	0.0172
Village: Ambegan					
10	32	Private	Agriculture (Private ,)	0.05 (Hectare)	0.05
11	33	Private	Agriculture	0.0372 (Hectare)	0.0372
12	43	Private	Agriculture (Private,)	0.14 (Hectare)	0.14
13	57	Common	Agriculture (Common,)	0.1175 (Hectare)	0.1175
14	58	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
15	68	Common	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
16	81	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Zarlipada					
17	33	Private	Agriculture (Private,)	0.0138 (Hectare)	0.0138
18	34	Common	Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
Village: Nalegaon					
19	101	Private	Agriculture	0.1793 (Hectare)	0.1793

20	102	Private	Agriculture	0.0136 (Hectare)	0.0136
Taluk: Peth					
Village: Borwat					
21	121	Private	Agriculture	0.0442 (Hectare)	0.0442
22	122	Private	Agriculture	0.0425 (Hectare)	0.0425
23	125	Common	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
24	126	Common	Agriculture	0.0095 (Hectare)	0.0095
25	197	Private	Agriculture	0.0119 (Hectare)	0.0119
Village: Kotambi					
26	172	Common	Agriculture	0.0045 (Hectare)	0.0045
27	197	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
28	198	Private	Agriculture	0.0072 (Hectare)	0.0072
29	201	Common	Agriculture	0.0355 (Hectare)	0.0355
30	207	Common	Agriculture	0.0203 (Hectare)	0.0203
31	27	Common	Agriculture	0.0588 (Hectare)	0.0588
Village: Inambari					
32	59	Common	Agriculture	0.0035 (Hectare)	0.0035
Village: Savalghat					
33	102	Common	Agriculture / Non Agriculture	0.1322 (Hectare)	0.1322
34	99	Common	Agriculture	0.0038 (Hectare)	0.0038
Village: Karnjali					
35	164	Common	Agriculture	0.0075 (Hectare)	0.0075
36	200	Private	Agriculture	0.1246 (Hectare)	0.1246
Village: Peth					
37	91	Private	Agriculture	0.0002 (Hectare)	0.0002
Total					2.1352

[F. No. RO/MUM/Nashik-Kumbh-2027/2025-26/241/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director